>

Title: Need to regulate the functioning of private banks.

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): आईसीआईसीआई व निजी ऑटो वित्त पोषण कंपनियों द्वारा ग्राहकों से अवंछित एवं अप्रिय व्यवहार किया जाता है। निजी वित्तीय कंपनिया वित्तीय मदद के समय तो उपभोक्ताओं के आगे पीछे घूमती है और सारे चेक्स अग्रिम में लेती है और अपने पास गिरवी या रेहन रखे जाने की सूचना तत्काल संबंधित सरकारी ट्रंसपोर्ट प्राधिकारण को दे देती है परंतु पूर्ण पेमेंट मिलने के बाद यह नो ड्यूज़ सर्टिफिकेट देने में उपभोक्ताओं को बहुत तंग करती है, उनके खाते में अनाप-शनाप बैलेन्स दिखाया जाता है और उसका भुगतान करने के बाद भी वो अन्य सुविधा शुल्क भी मांगते हैं और ग्राहकों से महीनों तक चक्कर लगवाते हैं। जबकि उनको किस्त का अंतिम चेक मिलने के तुंत बाद नो ड्यूज़ की संपूर्ण सूचना संबंधित विभागों को तुंत वितरित कर देनी चाहिए जैसा कि वो ऋण स्वीकृत करते समय करते हैं।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार इस प्रवृत्ति पर अविंलंब रोक लगाये एवं सभी उपभोक्ताओं को राहत दिलवाये।